<u>जनपद बाराबंकी</u>

प्रेस नोट सं0-18 **दिनांक- 30.06.2024**

स्वाट/सर्विलांस व थाना बदोसराय की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा लूट के वादी द्वारा अपने विपक्षीगण को फंसाने के उद्देश्य से पंजीकृत कराये गये झूठे मुकदमें का किया गया सफल अनावरण-

दिनांक- 26.06.2024 को थाना बदोसराय पर वादी विजय प्रकाश मिश्र पुत्र स्व0 नन्दकिशोर मिश्र निवासी तारापुर गुमान थाना रामनगर जनपद बाराबंकी द्वारा सूचना दी गई कि वह अपनी पत्नी बीना मिश्रा के साथ टीवीएस मोपेड से बैंक आफ इण्डिया शाखा, मरकामऊ आया था, जहां पर उसकी पत्नी ने अपने खाता से समय करीब 13.44 बजे 50,000/- रुपये निकाले और उसे टीवीएस मोपेड पर पीछे बिठाकर घर वापस जा रहा था कि रानीगंज मार्ग पर मुर्गी फार्म के आगे ग्राम मधवापुर के पास पीछे से आ रही मोटरसाइकिल संख्या यूपी 41 एके 9301 पर सवार दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसकी पत्नी के हाथ से रुपयों का बैग छीनकर रानीगंज बाजार की तरफ भाग गये। उक्त सूचना के आधार पर थाना बदोसराय पर मु0अ0सं0 144/2024 धारा 392 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी श्री दिनेश कुमार सिंह द्वारा उक्त घटना से सम्बन्धित समस्त पहलुओं की जांच कर घटना का अनावरण एवं संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया तथा आवश्यक निर्देश दिए गये। इसी क्रम में आज दिनांक 30.06.2024 को स्वाट/सर्विलांस व थाना बदोसराय पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इंटेलीजेंस एवं डिजिटल डेटा की मदद से घटना का सफल अनावरण करते हुए प्रकाश में आया कि वादी द्वारा रंजिशन अपने गांव के विपक्षी वीरेन्द्र सिंह पुत्र गया प्रसाद की मोटरसाइकिल का नम्बर देकर विपक्षी को फंसाने के लिए झूठी लूट की सूचना देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया।

पूछताछ के दौरान वादी तथा वादी की पत्नी एवं उसका पुत्र मुकेश व दामाद रवि पाठक के बयान में भिन्नता पाये जाने एवं बार बार बयान बदलने पर प्रकरण संदिग्ध पाया गया। उनके मोबाइल नम्बर की सीडीआर के अवलोकन से भी उनके बयान की पुष्टि नहीं हो रही थी तथा बड़ी सहजता से वादी द्वारा घटना के दौरान लूट करने वाले मोटरसाइकिल का नम्बर यूपी 41 एके 9301 भी बताया गया, जो उसके गांव के ही विपक्षी वीरेन्द्र सिंह के मोटरसाइकिल का नम्बर था, जबकि विपक्षी की मोटरसाइकिल उस दिन घर पर ही मौजूद थी। कड़ाई से पूछताछ के दौरान वादी ने बताया कि विपक्षी वीरेन्द्र सिंह पुत्र गया प्रसाद से बिजली का पोल व केबिल हटाने को लेकर विवाद व मारपीट होने के कारण रंजिश थी, इसी रंजिश के कारण विपक्षी को झूठे मुकदमें में फंसाने की नियत से यह लूट का मुकदमा लिखाया था एवं उसके साथ कोई भी लूट की घटना कारित नहीं हुई है एवं बैंक से निकाले गये पैसे अपने दामाद रवि पाठक व पत्नी के माध्यम से घर भिजवा दिया था, जिसे आज घर से बरामद कर लिया गया है एवं विपक्षी को झूठे मुकदमें में फंसाने की नियत से लूट का मुकदमा लिखाने के लिए उपरोक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस टीम-

थाना बदोसराय-

1. थानाध्यक्ष श्री संतोष कुमार थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी
2. उ0नि0 श्री सालिक राय थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी
3. हे0का सुशील, का0 मनोज, कम्प्यूटर आपरेटर राहुल थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी

<u>स्वाट टीम-</u>

1. उ0नि0 श्री अजय सिंह प्रभारी स्वाट टीम
2. हे0का0 बलवन्त सिंह, हे0का0 जितेन्द्र बहादुर सरोज, हे0का0 दीनानाथ शुक्ल
3. का0 प्रवीण शुक्ल, का0 अंकित तोमर
4. का0 अभय कुमार, का0 अभिषेक राजवंशी, का0 नितिन कुमार

<u>सर्विलांस सेल-</u>

1. उ0नि0 श्री संजीव प्रकाश सिंह प्रभारी सर्विलांस सेल, जनपद बाराबंकी
2. उ0नि0 श्री रामाधार सर्विलांस सेल, जनपद बाराबंकी
3. हे0का0 शैलेन्द्र प्रताप सिंह, हे0का0 जितेन्द्र वर्मा,
4. हे0का0 मजहर अहमद, हे0का0 अनुज कुमार
5. हे0का0 पवन गौतम, का0 शैलेन्द्र कुमार